संख्या- 07/2016/30/बयालिस-2016-07(निर्माण)/2005

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2016**

विषय- जनपद अम्बेडकरनगर में बहुउद्देशीय क्रीडाहाल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1271/नि0 अम्बेडकरनगर बहु0क्री0 हा/2015-16, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 1673/बयालिस-2005-07(निर्माण)/2005, दिनांक 26 मई, 2005 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु रू0 104.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद अम्बेडकरनगर में बहुउद्देशीय क्रीडाहाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 153.98 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 158.26 में से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तथा मूल स्वीकृति लागत के अन्तर की धनराशि रू0 49.29 लाख(उन्चास लाख उन्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1)- निदेशक, खेल द्वारा उक्त स्वीकृति धनराशि रू0 49.29 (उन्चास लाख उन्तीस हजार मात्र) कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0 एस0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति धनराशि बजट एवं परिव्यय सीमा के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है ।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(5)- प्रायोजना के अन्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता परक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एंव बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(9)- शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या- 1673/बयालिस-2005-07(निर्माण)/2005, दिनांक 26 मई, 2005 के अनुसार यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-25-जिला योजना के अधूरे कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/ 2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 07/2016/30(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, अम्बेडकरनगर ।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, फैजाबाद।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in